23/5/24.

पत्रावली पेश हुयी। वादी अधि० उपस्थित। आदेशिका दिनांक 23/5/17 के अनुसार वादी को, प्रतिवादीगणों पर समन के लिए रजिस्टर्ड तलबी करवायी जानी थी। परन्तु लगभग 07 वर्ष व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी वादी द्वारा प्रतिवादीगणों को समन के लिए रजिस्टर्ड तलबी पेश नहीं की गयी।

अतः न्यायालय, आदेशिका

Signature Not Verified

Digitally signed by Sarita Sharma
Date: 2024.06.12 10:45:44 IST
Reason: SelfAttested

# फर्द अहकाम

ACM Jaipur I

संतोष देवी बनाम बाबूलाल

संख्या / वर्ष T.J. 80/22 / 20

| दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से | विशेष टि |
| --- | --- | --- |
| 23/5/24 | के अवलोकन करने पर पाया गया है कि न्यायालय आदेशिका दिनांक 23/5/17 में विरोधी पक्षकार को सूचना दिए बिना, अंतरिम व्यादेश जारी किया गया था। आदेश 39, नियम-3, CPC में यह Mandatory Provision है कि ऐसे व्यादेश के तुरन्त पश्चात वादी रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा विरोधी पक्षकारों को समन की तामील करवाएगा।<br>बावजूद इसके वादी रजिस्टर्ड तलबी हेतु डाक-खर्चा देने में विफल रहा है।<br>अतः वादी प्रार्थी का प्रा० पत्र आदेश 09 नियम 02, CPC के तहत [illegible] से खारिज किया जाता है।<br>पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। | |

सहायक कलक्टर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sarita Sharma
Date: 2024.06.12 10:45:44 IST
Reason: SelfAttested